भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3511

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

एनपीएस वात्सल्य योजना

3511. श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनपीएस वात्सल्य योजना के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बचत की दृष्टि से किस हद तक सहायक है;

(ग) क्या दाहोद में सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभ मिला है; और

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में जागरुकता पैदा करने और योजना की स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अभियान शुरु किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): एनपीएस-वात्सल्य योजना, अवयस्कों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसे दिनांक 18.9.2024 को पूरी तरह से पेंशनभोगी समाज के निर्माण करने के उद्देश्य से शुरु किया गया था। यह योजना माता-पिता/अभिभावकों द्वारा अपने अवयस्क अभिदाता (सब्सक्राइबर) के लिए बिना किसी अधिकतम अंशदान की सीमा सहित, प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करने के लिए बनाया (डिज़ाइन) गया है। वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर, अभिदाता(सब्सक्राइबर) का खाता सरलतापूर्वक एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। एनपीएस-वात्सल्य बच्चों के लिए प्रारंभिक बचत को प्रोत्साहित करके अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के अतिरिक्त प्रारंभिक निवेश की शुरुआत के साथ पीढ़ियों में सेवानिवृत्ति योजना की संस्कृति और आदत को बढ़ावा देता है। दिनांक 1.4.2025 से, पुरानी कर व्यवस्था के तहत, माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए एनपीएस-वात्सल्य योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की आयकर कटौती दी गई है। एनपीएस वात्सल्य एक अखिल भारतीय योजना है, जो सरकारी कर्मचारियों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए खोले गए हैं।

दिनांक 3.8.2025 की स्थिति के अनुसार एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 1.30 लाख अव्यस्क अभिदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 19 अव्यस्क अभिदाता दाहोद जिले से हैं।

यह योजना पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नियमन के अंतर्गत, बैंक शाखाओं और गैर-बैंकिंग संस्थाओं सहित, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ये पीओपी पूरे भारत में, सभी क्षेत्रों में परिचालित होते हैं, जिससे व्यापक कवरेज और पहुँच सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, एनपीएस-वात्सल्य खाता एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रसारित किए गए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी खोला जा सकता है, जिससे पहुँच तथा सुविधा और बढ़ जाती है।

पीएफआरडीए देश भर में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टीवी, रेडियो, थिएटर, सोशल मीडिया, प्रिंट और आउटडोर अभियानों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान भी चलाता है।

*****